



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2004
षोष 6, 1926 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1540/सात-वि-1—1(क) 36-2004
लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2004 पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमों को निरसित करने के लिए

अधिनियम

चूँकि यह समीचीन है कि कतिपय अधिनियम, जिनका प्रायः अब कोई प्रयोग नहीं रह गया है, स्पष्टतः और विशिष्टतः निरसित कर दिये जायं;

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमों का निरसन

2-इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियम एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

अपवाद

3-धारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियम प्रयुक्त, नियमित अथवा निर्दिष्ट किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की अथवा पहले से उपाजित, उत्पन्न अथवा उपगत किसी अधिकार, आगम, आभार अथवा दायित्व की अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या माँग से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति की या किसी अतीत के कृत्य या वस्तु के प्रमाण की बैधता, अवैधता, प्रभाव अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम पर या कालत, वृत्ति या प्रक्रिया के संस्थापित अधिकार क्षेत्र, प्रकार अथवा दौरान पर, अथवा वर्तमान प्रथा, रीति रिवाज, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति पर अथवा नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में अथवा से, किसी भी रीति से क्रमशः संपुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुए हों;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणामस्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रीति-रिवाज, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा, वृत्ति, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः प्राप्ति ही हो सकेगी।

अनुसूची
(देखिये धारा 2)
निरसन

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम
1	2	3
1956	30	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956
1957	5	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956
1958	42	उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

उद्देश्य और कारण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विनियमीकरण समिति ने अपने प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों को क्रमशः नवम्बर, 2000 और जुलाई, 2001 में प्रस्तुत किया था और उक्त प्रतिवेदनों में की गयी अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए निवेदन किया था। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने की भी सिफारिश की थी। उक्त प्रतिवेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित अधिनियमितियों को निरसित किया जाय :-

- (1) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1956
- (2) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 1956
- (3) उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1958

तदनुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1540/VII-V-1-1(KA) 36-2004

Dated Lucknow, December 27, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 23, 2004 :

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 32 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal certain enactments.

WHEREAS it is expedient that certain enactments which are practically obsolete should be expressly and specifically repealed;

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2004.

2. The enactments specified in the Schedule to this Act are hereby repealed.

3. The repeal by this Act of any enactment referred to in section 2 shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

SCHEDULE
(See section 2)

Repeals

Year	No.	Short Title
1	2	3
1956	XXX	The Uttar Pradesh Repealing and Amending Act, 1956.
1957	V	The Uttar Pradesh Repealing and Amending (Second) Act, 1956.
1958	XLII	The Uttar Pradesh Repealing and Amending Act, 1958.

Short title

Repeal of certain enactments

Savings

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Deregulation Committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary had submitted its first and second reports in November, 2000 and July, 2001 respectively and requested for the implementation of its recommendations made in the said reports. The said Committee has *inter alia* recommended for repealing certain enactments. After due consideration of the said reports it has been decided to repeal the following enactments :-

1. the Uttar Pradesh Repealing and Amending Act, 1956.
2. the Uttar Pradesh Repealing and Amending (Second) Act, 1956.
3. the Uttar Pradesh Repealing and Amending Act, 1958.

The Uttar Pradesh Repealing Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 782 राजपत्र-(1891)- 2004-597-कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 205 सा० विधायी-(1892)- 2004-850-कम्प्यूटर/आफसेट।